सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

विविध प्रार्थना पत्र सं0 04/2017

1. विमला देवी पत्नी इन्द्रभान छाबडा जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 11 ,श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर, जरिये मुखत्यारआम इन्द्रभान छाबडा पुत्र श्री सुखलाल छाबडा जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 11 ,श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार

उपस्थित : श्री कुलवन्त सिंह संधू, अधिवक्ता, प्रार्थी।
राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0

आदेश **दिनांक : 02.02.2018**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि उप शासन सचिव (राजस्व) सीलिंग जयपुर के आदेश दिनांक 01.08.1980 के द्वारा श्रीमति माधुरी सिंह के पति इन्द्रजीत सिंह के विरूद्व नये सीलिंग कानून की धारा 15(1) के अधीन प्रकरण पुनः खोला जाकर दिनांक 17.04.1985 को कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। जिसके विरूद्व राज्य सरकार द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील करने पर प्रकरण पुनः इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर) को रिमाण्ड कर दिया गया जो कि प्रकरण संख्या 08/1989 पर दर्ज होकर दिनांक 21.10. 1995 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया कि प्रत्यार्थी के पास निर्धारित तिथि को 271.16 बीघा भूमि थी व वह 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि धारण कर सकती थी व शेष 225.8 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया गया , जिसमें प्रार्थीया का रकबा 9.16 बीघा भी शामिल था। उपरोक्त आदेश दिनांक 21.10.1995 की पालना में प्रार्थीया विमलादेवी की खरीदशुदा भूमि मु.न. 71, पुराना 69 की 9.16 बीघा भूमि जो दिनांक 31.03.1958 की खरीदशुदा थी, को भी अधिग्रहण कर लिया गया। इस तथ्य का स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.10.1995 के पृष्ठ संख्या 3 के द्वितीय पैरा में भी वर्णन किया गया है जिसमें तहसील रिपोर्ट दिनांक 02.06.1982 के अनुसार दिनांक 31.03.1958 को मु0न0 71(69 पुराना) के 9.16 बीघा भूमि खरीद होना दर्ज किया है, इस निर्णय दिनांक 21.10.1995 की पालना में प्रार्थीया का मु0न0 71(69 पुराना) का रकबा अधिग्रहण कर लिया गया। लेकिन इसके बाद प्रार्थीया द्वारा इस निर्णय दिनांक 21.10.1995 के खिलाफ राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेशा करने पर निर्णय दिनांक 21.04.2003 के अनुसार असेसी की 248.8 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दिये, यद्यपि राज्य सरकार ने दिनांक 21.10.1995 के निर्णय की पालना में रकबा तो पहले ही अधिग्रहण कर रखा था जो कि रिकॉर्ड में मु.न. 71 के 2.530 हैक्टर के रूप में दर्ज किया हुआ है। मु.न. 71(69) का रकबा प्रार्थीया को दिनांक 31.03.1958 को बिका होने के कारण सदभावी बैचान मानते हुए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 15.11.2017 में प्रार्थी को वापिस देने के आदेश दिये गये है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड इंतकाल में अदालतवाला के आदेश दिनांक 21.10.1995 का वर्णन किया गया है। प्रार्थीया को उसका उपरोक्त रकबा मु0न0 71(69) का 9.16 बीघा वापिस लौटाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। राजकीय अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 15.11.2017 उनके पक्ष में हो चुका है तथा इस न्यायालय का निर्णय 21.10.1995 के खिलाफ राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 21.04.2003 के अनुसार असेसी की 248.8 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये, यद्यपि राज्य सरकार ने दिनांक 21.10.1995 के निर्णय की पालना में रकबा तो पहले ही अधिग्रहण कर रखा था। इस न्यायालय का निर्णय 21.04.2003 जिसके द्वारा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक घोषित की गई थी, को निरस्त कर दिया गया है। बहस में यह भी बताया है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की पालना में प्रार्थीगण की चक 29 जीबी के मु0न0 71 (पुराना 69) की कुल 9.16 बीघा जमीन का कब्जा वापिस देकर इंतकाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त हो चुका है, जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया गया था। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15.11.2017 के विधिक परीक्षण के उपरांत रिट दायर करने के लिए तहसीलदार श्री विजयनगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है इसलिए स्टेट के हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित होने वाले भावी निर्णय के अध्यधीन इस आदेश को रखा जाना चाहिये। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0 को स्वीकार करने में राजकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि सीलिंग प्रकरण सं0 03/1998 अनवान सरकार बनाम माधुरी वगैरा के विधिक उतराधिकारीगण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2003 को निर्णय पारित कर 9.16 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे। इस न्यायालय के इस आदेश कमांक 3917 दिनांक 21.10.1995 की पालना में कब्जा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर निर्णय दिनांक 21.10.1995 के कम में मु.न. 71

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

(पुराना 69) का कब्जा लिया गया जिसका इन्तकाल 66 दिनांक 15.11.1995 मु.न. 71(पुराना 69) खसरा नम्बर किला नम्बर 1 ता 10 की 2.405 हैक्टर व किला नम्बर 11 की 0.125 कुल 2.530 हैक्टर आदेश कमांक 3917 दिनांक 21.10.95 को आराजी राज स्वीकृत किया गया। इस न्यायालय के निणर्य दिनांक 21.04.2003 को अप्रार्थी विमला देवी पत्नी इन्द्रभान छाबडा जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 11 ,श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल , अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.11.2017 से अपील स्वीकार करते हुए भूमि सीलिंग सीमा से कम मानी गई व इस न्यायलय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त कर **अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी की खरीदशुदा भूमि मु.न. 71 (पुराना 69) की 9.16 बीघा भूमि को सीलिंग सीमा से मुक्त किया गया है।** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15.11.2017 पर कोई स्थगन हो, के सम्बन्ध में तहसीलदार श्री विजयनगर ने अपने पत्रांकः–भू.अ./2017/183 दिनांक 15.01.2018 से स्पष्ट किया है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 15.11.2017 के विरूद्व कोई अपील/रिट विचाराधीन नहीं है। चूँकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का अपील में निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में है और इस न्यायालय का आदेश/निर्णय निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन अभिलेख पर नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी निर्णय की पालना किये जाने में कोई आपति जाहिर नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 15.11.2017 की पालना में इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.10.1995, जो कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.04.2003 में मर्ज किया गया है के मुताबिक इन्तकाल संख्या 66 दिनांक 15.11.1995 मु.न. 71 (पुराना 69) के किला नम्बर 1 ता 10 की 2.405 है0 व किला नम्बर 11 की 0.125 है0 कुल 2.530 हैक्टर भूमि जिसका राज हक में कब्जा न्यायालय के निर्णय की पालना में आदेश कमांक 3917 दिनांक 21.10.1995 द्वारा लिया गया था में से किला नम्बर 1 ता 10 की 2.405 है तथा किला नम्बर 11 की 0.075 हैक्टर कुल 2.480 हैक्टर अर्थात 9.16 बीघा का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद, उनके पक्ष में करते हुए वापस कब्जा सुपुर्दगी का आदेश दिया जाता है । उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय में विचाराधीन मूल सीलिंग रिमाण्ड प्रकरण संख्या 03/2006 में पारित होने वाले भावी आदेश के अध्यधीन रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, श्री विजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 02.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/2/18

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।